पत्र सं0—स्था—1—ज्येष्ठता पत्रावली / 2025—2026 / 2163 / राज्य कर।

प्रेषक,

आयुक्त राज्य कर ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल अपर आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
अपर निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान
गोमती नगर, लखनऊ।
समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर
मुख्यालय लखनऊ।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग) लखनऊ::दिनांक 30/07 ,2025

विषयः—विभिन्न श्रोतों से भर्ती किये गये सहायक आयुक्त राज्य कर की प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची (2703 से 3330 तक) में आपत्तियॉ मंगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—।/1040781/2025 दिनांक 29.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन ने विभिन्न श्रोतों से भर्ती किये गये सहायक आयुक्त राज्य कर की क्रमांक 2703 से 3330 तक की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की है। उसी के क्रम में सहायक आयुक्त राज्य कर की अद्यावधिक ज्येष्ठता सूची क्रमांक 2703 से 3330 तक संलग्नक के अनुसार अनन्तिम रूप से प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र दिनांक 29.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने जोन में तैनात अधिकारियों (सहायक आयुक्त) को एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिनके नाम इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित है। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय कॉमटैक्स पोर्टल (नोटिस बोर्ड) पर भी उपलब्ध है। यदि कोई अधिकारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में निर्धारित अपने स्थान से संतुष्ट न हो तो वह अपनी आपत्ति दिनांक 14.08.2025 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय पर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें, जिससे शासन को समयान्तर्गत वॉछित सूचना प्रेषित की जा सकें। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची से सम्बन्धित सूचना उक्त निर्धारित तिथि के बाद मुख्यालय पर प्राप्त होगी, तो किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— संयुक्त सचिव राज्य कर अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—।/1040781/2025 दिनांक 29.07.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2— संयुक्त आयुक्त(आई0टी0)राज्य कर, मुख्यालय को इस आशय से प्रेषित कि सहायक आयुक्त राज्य कर की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

3— कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्थापना राजपत्रित अनुभाग, राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

अपर आयुक्त राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।